

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
प्रयागराज क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग,
प्रयागराज

पत्रांक :- 2118/29याता(फते0)-प्रया0क्षे0/19

दिनांक :- 18/3/2020

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फतेहपुर।

विषय :- गाटा सं0-48 एवं 49 ग्राम कटरा नरैचा, तहसील-बिन्दकी, फतेहपुर में शिवराजपुर बिन्दकी ललौली मार्ग (प्र0जि0मा0-15) के किमी0-28 (चैनेज 27.925 बांये तरफ) पर भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नये रिटेल आउटलेट की स्थापना किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- कार्यालय जिलाधिकारी, फतेहपुर का पत्रांक 98/20विविध/आयुध/2019 दिनांक 28.01.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा गाटा सं0-48 एवं 49 ग्राम कटरा नरैचा, तहसील-बिन्दकी, फतेहपुर में शिवराजपुर बिन्दकी ललौली मार्ग (प्र0जि0मा0-15) के किमी0-28 (चैनेज 27.925 बांये तरफ) पर भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नये रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता की आख्या के आधार पर निम्न शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

1. उ0प्र0 रोड साइड भूमि नियंत्रण अधिनियम 1945 की धारा-6 के अन्तर्गत प्रमुख जिला मार्गों पर नगर सीमा के बाहर कृषि भूमि पर, मार्ग के मध्य बिन्दु से संलग्न मानचित्र के अनुसार 60 फिट से कम दूरी पर प्रस्तावित कार्य की बाउण्ड्रीवाल का स्थायी/अस्थायी निर्माण न कराये जाने से सम्बन्धित प्रतिशपथ पत्र आउटलेट स्वामी से लेने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय।
2. संलग्न मानचित्र के अनुसार मार्ग के मध्य बिन्दु से 18.30 मी0 (60 फिट) की दूरी पर एक तरफ की भूमि पर किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण न कराये जाने से सम्बन्धित प्रतिशपथ पत्र आउटलेट स्वामी से लेने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय।
3. प्रस्तावित कार्यस्थल की भूमि का आउटलेट के स्वामी के नाम बतौर भूस्वामी दर्ज होने अथवा भूस्वामी द्वारा आउटलेट के स्वामी के नाम पंजीकृत लीज-डीड के निष्पादित किये जाने का सत्यापन (यदि नियमों में इसका प्राविधान हो) राजस्व विभाग द्वारा अवश्य करा लिया जाय। यदि उक्त आराजी आउटलेट के स्वामी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज न हो अथवा उसके नाम भूस्वामी द्वारा पंजीकृत लीज-डीड का निष्पादन न हो अथवा उक्त प्रस्तावित कार्यस्थल भूमि का मा0 न्यायालय में यदि कोई वाद/मुकदमा लम्बित हो, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र न निर्गत किया जाय।
4. संलग्न मानचित्र एवं भविष्य को देखते हुए प्रथम फिलिंग प्वाइंट 27.30 मीटर एवं द्वितीय फिलिंग प्वाइंट 35.30 मीटर से कम दूरी पर न बनाया जाय।
5. मार्ग के जंक्शन बिन्दु पर जल निकासी हेतु मानचित्र के अनुसार 1.00 मीटर स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण के साथ दोनों तरफ पैरापिट एवं क्रास ड्रेनेज हेतु पक्की नाली का निर्माण आउटलेट के स्वामी द्वारा स्वयं के खर्चे पर अवश्य कराना सुनिश्चित किया जाय।
6. बफर स्ट्रिप की लम्बाई 12.00 मी0 एवं चौड़ाई 3.00 मी0 से कम नहीं होनी चाहिए।
7. आई0आर0सी0 कोड के अनुसार प्रस्तावित कार्य का फ्रन्टेज/प्रवेश एवं निकास क्रमशः न्यूनतम लम्बाई 35.00 मी0/11.50 मी0 एवं 11.50 मी0 तथा स्लोप 2 प्रतिशत से कम न रखा जाय।
8. रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड/सूचना पट/काशन बोर्ड, अग्निशमन यन्त्र इत्यादि लगवाने की व्यवस्था आउटलेट के स्वामी द्वारा स्वयं के खर्चे पर अवश्य कराना सुनिश्चित किया जाय।
9. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना के समय एवं स्थापना के पश्चात यातायात कदापि प्रभावित न किया जाय।

निरंजन कुमार / NIRANJAN KUMAR
टेरिटरी मैनेजर (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD.
भीली कॉलपी रोड, NH-2, कानपुर-209305
Bhaunti Kalpi Road, NH-2, Kanpur-209305

10. प्रस्तावित कार्य स्थल के सामने मार्ग की पटरी पर जल-मल निकासी मार्ग की तरफ न किया जाय तथा निर्माण सामग्री मार्ग के किनारे पटरी पर न रखा जाय।
11. प्रस्तावित कार्यस्थल का कुर्सी तल मार्ग की लेपित सतह से 30 सेंमी0 (1 फिट) नीचे रखी जाय।
12. निर्माण स्थल के सामने एवं मुख्य मार्ग के बीच में बची हुई लो0नि0वि0 की भूमि पर किसी कम्पनी का बोर्ड एवं लाइट आदि के पोल/खम्भे इत्यादि कदापि नहीं लगाये जायेंगे।
13. प्रस्तावित निर्माण कार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष समयावधि में, न होने पर आउटलेट स्वामी को पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनुमति सक्षम अधिकारी से लेना होगा।
14. लो0नि0वि0 की सरकारी भूमि जो प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग के रूप में उपभोग होगी उसको सदैव सही दशा में प्रार्थी द्वारा रखने तथा इसका स्वामित्व सदैव उ0प्र0 सरकार (लोक निर्माण विभाग) का ही रखने से सम्बन्धित प्रतिशपथ पत्र भू-स्वामी/पेट्रोल पम्प मालिक से प्राप्त करने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय।
15. प्रस्तावित निर्माण कार्य शासनादेश सं0-1882/23-12-19-1365/17टी.सी. दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 के प्राविधानों/विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जाय। यदि शासनादेश सं0-1882/23-12-19-1365/17टी.सी. दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 में दिये गये निर्देशों/विशिष्टियों/मानक के अनुरूप निर्माण कार्य नहीं किया जाता है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व आउटलेट स्वामी का होगा एवं निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।
16. प्रस्तावित निर्माण कार्य IRC : 12-2009 (Guidelines for Access, Location and Layout of Roadside Fuel Station and Sub Station) के प्राविधानों/विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जाय। यदि IRC : 12-2009 में दिये गये विशिष्टियों/मानक के अनुरूप निर्माण कार्य नहीं किया जाता है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व आउटलेट स्वामी का होगा एवं निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता द्वारा शा0सं0-1882/23-12-19-1365/17टी.सी. दिनांक 04.12.2019 के अनुसार चेक लिस्ट, ब्लूप्रिंट मानचित्र की मूल 03 प्रति एवं रु0 3,00,000.00 (रु0 तीन लाख) मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट सं0-889518 दिनांक 05.03.2020 एवं रु0 10,000.00 (रु0 दस हजार) मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट सं0-889514 दिनांक 25.02.2020 जो कि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, फतेहपुर के पक्ष में देय है।

संलग्नक :- मानचित्र एक प्रति।

(हिमान्शु मित्तल)

मुख्य अभियन्ता

प्रयागराज क्षेत्र, लो0नि0वि0

प्रयागराज

दिनांक :- / / 2020

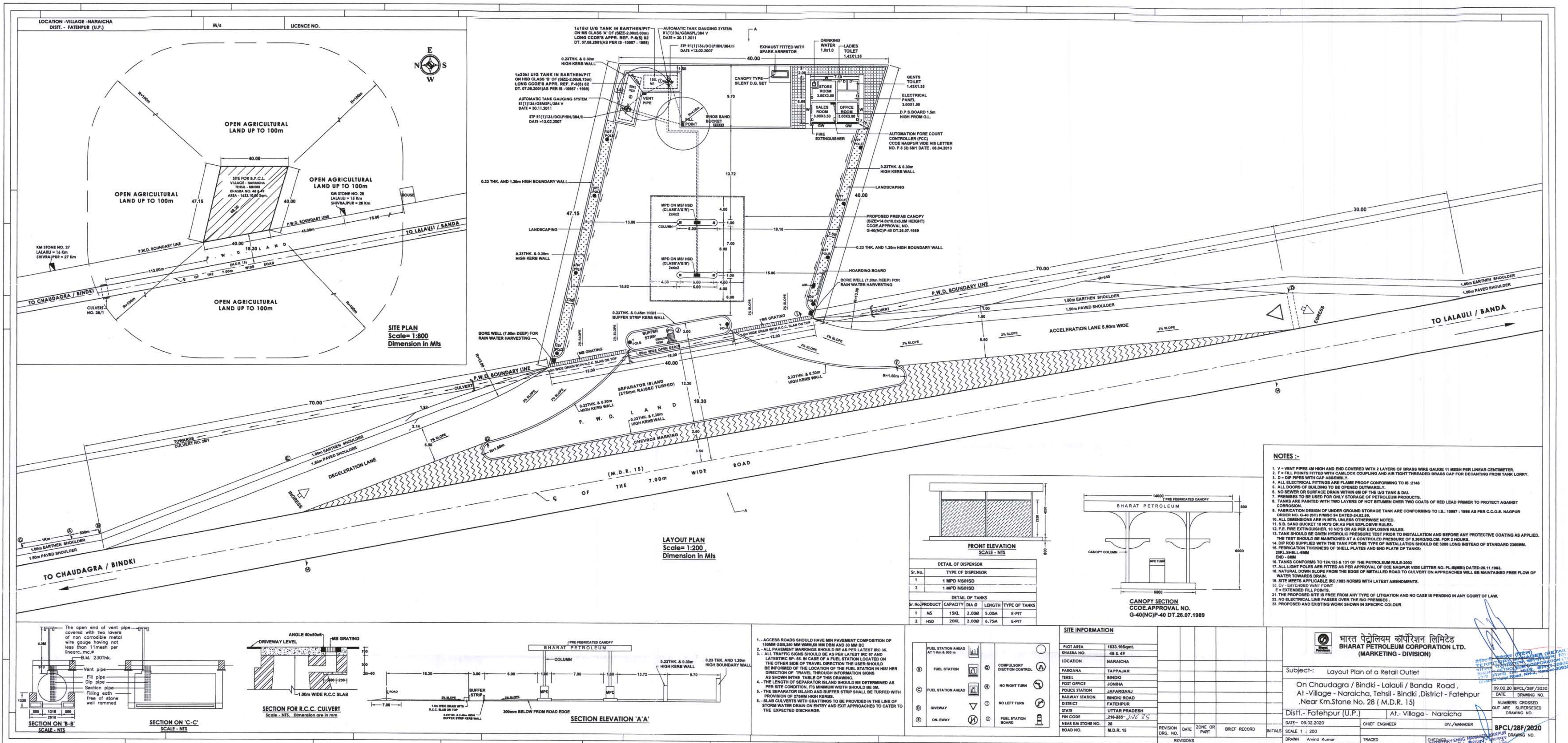
पत्रांक :- /29याता(फते0)-प्रया0क्षे0/19

1. प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, प्रतापगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0, प्रतापगढ़ को उनके पत्र संख्या 1214/1सी.-प्र0फ0वृ0/2020 दिनांक 07.03.2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, फतेहपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता
प्रयागराज क्षेत्र, लो0नि0वि0
प्रयागराज

13/06/2020

निरंजन कुमार / NIRANJAN KUMAR
टेरिटरी मैनेजर (रेटेल)
TERRITORY MANAGER (RETAIL)
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि0
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD.
भौली कॉलपी रोड, NH-2, कानपुर-209305
Bhaunti Kalpi Road, NH-2, Kanpur-209305



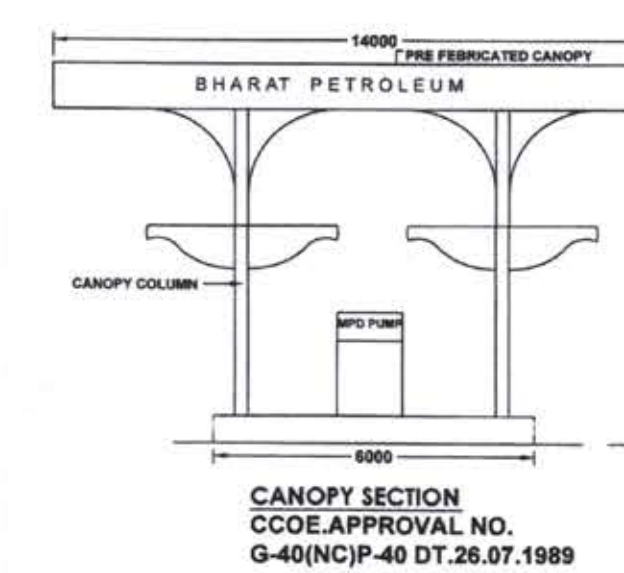
- NOTES :-**
1. V = VENT PIPES 4M HIGH AND END COVERED WITH 3 LAYERS OF BRASS WIRE GAUGE 11 MESH PER LINEAR CENTIMETER.
 2. F = FILL POINTS FITTED WITH CAMLOCK COUPLING AND AIR TIGHT THREADED BRASS CAP FOR DECANTING FROM TANK LORRY.
 3. D = DIP PIPES WITH CAP ASSEMBLY.
 4. ALL ELECTRICAL FITTINGS ARE FLAME PROOF CONFORMING TO IS : 2148
 5. ALL DOORS OF BUILDING TO BE OPENED OUTWARDLY.
 6. NO SEWER OR SURFACE DRAIN WITHIN 5M OF THE U/G TANK & DU.
 7. PREMISES TO BE USED FOR ONLY STORAGE OF PETROLEUM PRODUCTS.
 8. TANKS ARE PAINTED WITH TWO LAYERS OF HOT BITUMEN OVER TWO COATS OF RED LEAD PRIMER TO PROTECT AGAINST CORROSION.
 9. FABRICATION DESIGN OF UNDER GROUND STORAGE TANK ARE CONFORMING TO IS : 10987 : 1986 AS PER C.C.O.E. NAGPUR ORDER NO. G-40 (SC) PMSBC 84 DATED-24.02.89.
 10. ALL DIMENSIONS ARE IN MTRS. UNLESS OTHERWISE NOTED.
 11. S.B. SAND BUCKET TO NO'S OR AS PER EXPLOSIVE RULES.
 12. S.B. FIRE EXTINGUISHER, 10 NOS OR AS PER EXPLOSIVE RULES.
 13. TANK SHOULD BE GIVEN HYDROSTATIC PRESSURE TEST PRIOR TO INSTALLATION AND BEFORE ANY PROTECTIVE COATING AS APPLIED. THE TEST SHOULD BE MAINTAINED AT A CONTROLLED PRESSURE OF 0.36KG/CM. FOR 2 HOURS.
 14. DIP ROD SUPPLIED WITH THE TANK FOR THE TYPE OF INSTALLATION SHOULD BE 3385 LONG INSTEAD OF STANDARD 2350MM.
 15. FABRICATION THICKNESS OF SHELL PLATES AND END PLATE OF TANKS:
END - 8MM
SIDE - 6MM
 16. TANKS CONFORMS TO IS: 124125 & 131 OF THE PETROLEUM RULE-2002
 17. ALL LIGHT POLES ARE FITTED AS PER APPROVAL OF CCE NAGPUR VIDE LETTER NO. PL/18/MBD DATED:26.11.1983.
 18. NATURAL DOWN SLOPE FROM THE EDGE OF METALLIZED ROAD TO CULVERT ON APPROACHES WILL BE MAINTAINED FREE FLOW OF WATER TOWARDS DRAIN.
 19. SITE MEETS APPLICABLE IRC-1983 NORMS WITH LATEST AMENDMENTS.
 20. CV - DETACHED VENT POINT
E = EXTENDED FILL POINTS.
 21. THE PROPOSED SITE IS FREE FROM ANY TYPE OF LITIGATION AND NO CASE IS PENDING IN ANY COURT OF LAW.
 22. NO ELECTRICAL LINE PASSES OVER THE RIO PREMISES.
 23. PROPOSED AND EXISTING WORK SHOWN IN SPECIFIC COLOUR

FRONT ELEVATION
SCALE - NTS

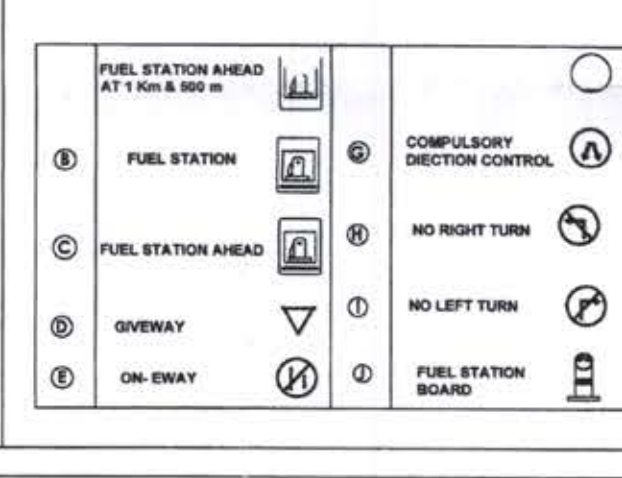
Sr.No.	TYPE OF DISPENSOR
1	1 MPD MSHSD
2	1 MPD MSHSD

DETAIL OF TANKS

Sr.No.	PRODUCT	CAPACITY	DIA Ø	LENGTH	TYPE OF TANKS
1	MS	15KL	2.000	5.00M	E-PIT
2	HSD	20KL	2.000	6.75M	E-PIT



- 1. ACCESS ROADS SHOULD HAVE MIN PAVEMENT COMPOSITION OF 150MM GSB, 250 MM WMM, 50 MM DDM AND 30 MM BC**
- 2. ALL PAVEMENT MARKINGS SHOULD BE AS PER LATEST IRC 35.**
- 3. ALL TRAFFIC SIGNS SHOULD BE AS PER LATEST IRC 87 AND LATEST IRC 35. IN CASE OF A FUEL STATION LOCATED ON THE OTHER SIDE OF TRAVEL DIRECTION THE USER SHOULD BE INFORMED OF THE LOCATION OF THE FUEL STATION IN HIS/HER DIRECTION OF TRAVEL THROUGH INFORMATION SIGNS AS SHOWN IN THE TABLE OF THIS DRAWING.**
- 4. THE LENGTH OF SEPARATOR ISLAND SHOULD BE DETERMINED AS PER SITE CONDITION. ITS MINIMUM WIDTH SHOULD BE 3M.**
- 5. THE SEPARATOR ISLAND AND BUFFER STRIP SHALL BE TURFED WITH PROVISION OF 27MM HIGH KERBS.**
- 6. SLAB CULVERTS WITH GRATINGS TO BE PROVIDED IN THE LINE OF STORM WATER DRAIN ON ENTRY AND EXIT APPROACHES TO CATER TO THE EXPECTED DISCHARGE.**



SITE INFORMATION

Plot Area	1633.106sqm.
Khasra No.	48 & 49
Location	NARAICHA
Pargana	TAPPARAJAR
Tehsil	BINDKI
Post Office	JONNHA
Police Station	JAFARGANJ
Railway Station	BINDKI ROAD
District	FATEHPUR
State	UTTAR PRADESH
Pin Code	216-239-216285
Near Km Stone No.	28
Road No.	M.D.R. 15

REVISIONS	DATE	ZONE OR PART	BRIEF RECORD
DRG. NO.	09.02.2020		

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD.
(MARKETING - DIVISION)

Subject:- Layout Plan of a Retail Outlet

On Chaudagra / Bindki - Lalauli / Banda Road ,
At - Village - Naraicha, Tehsil - Bindki , District - Fatehpur
Near Km.Stone No. 28 (M.D.R. 15)

Distt. - Fatehpur (U.P.) At - Village - Naraicha

DATE - 09.02.2020

SCALE 1 : 200

CHIEF ENGINEER

DIV./MANAGER

BPCL/28/2020

DRAWN Arvind Kumar

TRACED

CHECKED BY ENGG. MANAGER, FATEHPUR

DATE 09.02.2020

DRAWING NO.

NUMBERS CROSSED OUT ARE SUPERSEDED

DRAWING NO.

Executive Engineer
C.D.-2, P.W.D.
Fatehpur